राजस्थान–सरकार
कार्यालय आयुक्त कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर
EMI Campus, J-8-A, Jhalana Institutional Area, Jaipur- 302004 (Rajasthan)
Phone:- 0141-2701184 e-mail: dseecom.raj@gmail.com

क्रमांक/कौ.नि.उ./2019–20/397 दिनांकः 2.10.19

–::परिपत्र::–

दिनांक 28.08.2019 माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आरसीवीईटी की आयोजित गवर्निंग बॉडी की बैठक में माननीय मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत समस्त निजी संस्थानों को राजकीय संस्थानों के साथ जोड़ा जाना है। इस हेतु ब्लॉक अथवा जिलें की उत्कृष्ट आईटीआई का कार्य निम्नानुसार होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ब्लॉक/ जिलें में स्थित उत्कृष्ट संस्थान राजकीय/ निजी जो कि विभागीय ग्रेडिंग में उच्च स्थान पर हो का चयन उत्कृष्ट आईटीआई के रूप में किया जायेंगा तथा समिपस्थ ब्लॉक/ जिले की संस्थानों के समूहों को उत्कृष्ट संस्थान से संबंद्व किया जायेंगा। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक संस्थान की ग्रेडिंग त्रैमासिक की जायेगी तथा छः माह अथवा एक वर्ष के अन्तराल में उत्कृष्ट संस्थान का पुर्नचयन किया जायेंगा। प्रत्येक माह उत्कृष्ट संस्थान व संबंधित संस्थानों की प्रशिक्षण उन्नयन हेतु बैठक प्रत्येक माह की 10 तारीख(अवकाश होने पर आगामी तारीख) को आयोजित की जायेगी, इस बैठक में संबद्व संस्थानों को मासिक सूचना रिर्पोट की समीक्षा की जाऐगी तथा इसके मीटिंग मीनिट्स 12 तारीख तक जिला स्तरीय संस्थान के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी को भिजवायी जाऐगी।

उत्कृष्ट संस्थान के निम्न दायित्व होगें:–

1. प्रत्येक माह उत्कृष्ट संस्थानों की किसी एक बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहेगें व श्रेष्ठ संस्थान द्वारा किये जा रहें प्रयासो व संबंद्व संस्थानों की समीक्षा करेंगें।
2. प्रत्येक माह की 20 तारीख को क्षेत्रीय अधिकारी उत्कृष्ट संस्थानों की समीक्षा बैठक आयोजित करेंगें। जिसमें संबंद्व संस्थानों की मासिक प्रगति की समीक्षा की जाऐगी एवं इससे निदेशालय को अवगत कराया जायेगा।
3. प्रत्येक माह की बैठक में संस्थानों को आ रही कठिनाईयॉ व समस्याओं का निस्तारण हेतु प्रयास किया जायेगा।
4. विभाग द्वारा समय–समय पर चाही गयी विभिन्न सूचनाओं प्रपत्रों इत्यादि की सूचना आदान–प्रदान किया जायेगा। जिसे आवश्यतानुसार नोडल आईटीआई व क्षेंत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. प्रत्येक माह में उत्कृष्ट संस्थान के प्रभारी द्वारा संबंधित संस्थानो दौरा किया जाकर विभाग द्वारा किये गये विभिन्न आदेश व परिपत्रों की गाईड लाईन अनुसार पालना सुनिश्चित की जायेगी।
6. उत्कृष्ट संस्थान व संबंधित संस्थानों में उच्च योग्यता के अनुभवी अनुदेशकों के समयबद्व परस्पर व्याख्यान आयोजित किये जायेंगें।
7. संबंधित संस्थानों की प्रतिदिन उपस्थिति उत्कृष्ट संस्थान के माध्यम से जिला स्तरीय नोडल संस्थान को भिजवायी जायेगी। विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफाईल, ग्रेडिंग व एमआईएस की सूचना निर्धारित किये गये प्रपत्रों में नियमित रूप से उत्कृष्ट संस्थान के माध्यम से जिला स्तरीय संस्थान को भिजवायी जायेगी।
8. उत्कृष्ट संस्थान व संबंधित संस्थान अपने संस्थानों की श्रेष्ठ प्रयास व कार्यो को प्रति माह की बैठक में परस्पर अवगत करायेंगें। जिससे समस्त संस्थानों में इन प्रयासों को अपनाया जा सकें।

9. अन्य जिलों के उत्कृष्ट संस्थानों से जिलें के संस्थानों में किये जा रहें श्रेष्ठ प्रयासों को साझा करेंगें एवं इसी प्रकार अन्य जिलों की संस्थानों के श्रेष्ठ प्रयासों को अपने यहाँ लागू करवाऐंगें।

सम्बद्व संस्थानों के कार्यः—

1. उत्कृष्ट संस्थान द्वारा प्रतिमाह बैठक आयोजित करने पर संस्थान की विभाग द्वारा हाल ही में जारी किये आदेशो व परिपत्रों के अनुरूप समस्त सूचनाओं सहित बैठक में उपस्थित होकर विचार—विमर्श करना।
2. उत्कृष्ट संस्थान समय—समय पर संबंधित संस्थानों से विभिन्न सूचनाओं की यथा विधान सभा प्रश्न, मासिक प्रगति सूचना, प्रोफाईल, ग्रेडिंग इत्यादि चाही जाती है, जिन्हें अविलम्ब श्रेष्ठ संस्थान को उपलब्ध कराना।
3. प्रत्येक माह उत्कृष्ट संस्थान के प्रभारी/प्रतिनिधि द्वारा संबंधित संस्थानों का दौरा किया जायेगा। दौरे के समय समस्त सूचनाओं सहित संस्थान का दौरा करवाना व दौरे के दौरान किये गये निर्देशो व सलाहों को लागू करना।
4. संबंद्व संस्थान में यदि प्रशिक्षण कार्य बाधित है तो उत्कृष्ट संस्थान क्षेत्रीय अधिकारी के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही करायेंगें।

समस्त उपनिदेशक द्वारा 07 दिवस में उपरोक्त प्रक्रिया के अधीन संभाग में स्थित राजकीय/ निजी संस्थानों में से उत्कृष्ट संस्थान का ब्लॉक/जिलास्तरीय समूह का गठन करते हुए मैपिंग करते हुए मैंपिग की जायेगी तथा सूचना निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

क0सं0	जिले का नाम	ब्लॉक/जिले पर चयनित उत्कृष्ट संस्थान का नाम व कोड	संबंद्व संस्थानों का नाम मय कोड	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

Send as excel sheet on e-mail id
ddt_bikaner@yahoo.co.in

(डॉ0 समित शर्मा)
आयुक्त